क्रम-संख्या–64

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 मार्च, 2006

फाल्गुन 26, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 260/सात–वि–1–01(क)-5-2006

लखनऊ, 17 मार्च, 2006

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 14 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) आधनियम, 1961 की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) गन्ना की पेराई द्वारा गुड़ या राब के विनिर्माण या उत्पादन के लिए उर्ध्व कोल्हू या उर्ध्व शक्ति चलित कोल्हू को समाविष्ट करते हुए कोई इकाई या ऐसी इकाई जिसने उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अधीन कोई लाइसेंस प्राप्त किया है, से भिन्न कोई इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब के विनिर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित कोई प्रक्रिया नहीं करेगी या जिम्मा लेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे लाइसेंस को, जो उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 के अधीन दिया गया अथवा नवीकृत किया गया हो, या उसके अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया अभिप्रेत हो, इस अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिये, यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस माना जायेगा, जिस अवधि के लिये वह दिया गया या नवीकृत किया गया था, मानो यह अधिनियम पूर्वोक्त अवधि में तथा सारवान दिनांक पर प्रचलित था।"

उद्देश्य और कारण

लघु किसानों तथा लघु कुटीर उद्योगों द्वारा उर्ध्व कोल्हुओं या उर्ध्व शक्ति चालित कोल्हुओं की सहायता से गुड़ या राब का विनिर्माण या उत्पादन किया जा रहा है। ऐसे लघु किसानों तथा लघु कुटीर उद्योगों के स्वामियों को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त इकाइयों को लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 260/VII-V-1–1 (ka)-5-2006

Dated Lucknow, March 17, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Kraya Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2006.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 5 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty -seventh year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 9 of 1961

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961 *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"No unit other than a unit comprising vertical crusher (Urdhwa Kolhu) or vertical power crusher (Urdhwa Shakti Chalit Kolhu) for manfacture or production of gur or rab by crushing sugarcane or a unit which has obtained a licence under the Uttar Pradesh Khandsari Sugar Manufactures Licensing Order, 1967, shall without obtaining a licence from the Sugar Commissioner, carry on or undertake any process connected with the manufacture or production of gur or rab :

Provided that a licence granted or renewed under the U.P. Sugarcane Cess Act, 1956, or purported to have been granted or renewed thereunder, shall be deemed to be a licence granted, or renewed, as the case may be, under this Act, for the period for which it was granted or renewed as if this Act had been in force during the aforesaid period and on all material dates."

STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

The manufacture or production of *Gur or Rab* by crushing sugarcane is being done by small farmers and small cottage industries by the help of vertical crusher (Urdhwa Kolhu) or vertical power crusher (Urdhwa Shakti Chalit Kolhu). Such small farenrs and small cottage industry owners have to face difficulties in obtaining licence under the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961. It has, therefore, been decided to amend the said Act to exempt the said units from obtaining licences.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 2298 राजपत्र–(हिन्दी)–(3400)–2006–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 177 सा० विधायी–(3401)–2006–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।